राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(147)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 16.11.21

::आज्ञा::

श्री हर्ष यादव, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर को एम.कॉम. (प्रिवियस Non-Collegiate) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग अनुमति लेनी होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. इन्हें परीक्षा/साक्षात्कार दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
5. आपके अध्ययन से राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 110 के अन्तर्गत कोई अध्ययन/शोध कार्य अवकाश देय नहीं होगा।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा तैयारी के लिए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
9. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्री हर्ष यादव, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली

16.11.2021

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx